



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार 27 मई, 2021
ज्येष्ठ 6, 1943 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश शासन
आबकारी अनुभाग-2

संख्या 954 ई-2/तेरह-2021-16-2011
लखनऊ, 27 मई, 2021

अधिसूचना

सा०प०नि०-36

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) की धारा 40 की उपधारा (2) के खण्ड (ड) और (च) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल सरकारी अधिसूचना संख्या 6355(6)/ई/तेरह-521-67, दिनांक 25 मार्च, 1968 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या और स्थिति नियमावली, 1968 का संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं।

उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या और स्थिति
(सप्तम् संशोधन) नियमावली, 2021

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या और स्थिति (सप्तम् संशोधन) नियमावली, 2021 कही जायेगी। संक्षिप्त नाम व प्रारम्भ

(2) यह दिनांक 1 अप्रैल, 2021 से प्रवृत्त होगी।

2-उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या और स्थिति नियमावली, 1968 में, नियम 5 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये उपनियम (9) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :- नियम 5 का संशोधन

स्तम्भ-1 विद्यमान उपनियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
(9) किसी अन्य जिले की सीमा के पाँच किलोमीटर के भीतर, सिवाय उस दशा के, जब दोनों जिलों के क्लेक्टर सहमति दे दें, मंदिरा की फुटकर बिक्री के लिए कोई लाइसेंस नहीं दिया जायेगा। यदि सहमति देने में विफल हो तो मामला आबकारी आयुक्त को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसका उस पर निर्णय अंतिम होगा।	(9) दो जिलों के मध्य मंदिरा की फुटकर बिक्री के लाइसेंसों की अवस्थिति/स्थल से सम्बन्धित किसी विवाद की स्थिति में उक्त मामला आबकारी आयुक्त को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

आज्ञा से,
संजय आर० भूसरेड्डी,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 954 E-2/XIII-2021-16-2011, dated May 27, 2021:

No. 954 E-2/XIII-2021-16-2011

Dated Lucknow, May 27, 2021

IN exercise of the powers under clauses (e) and (f) of sub-section (2) of section 40 of the United Provinces Excise Act, 1910 (U.P. Act no. IV of 1910), read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh number and Location of Excise Shops Rules, 1968, published with Government notification no. 6355(6)E/XIII-521-67, dated March 25, 1968.

THE UTTAR PRADESH NUMBER AND LOCATION OF EXCISE SHOPS
(SEVENTH AMENDMENT) RULES, 2021

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Number and Location of Excise Shops (Seventh Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force with effect from April 1, 2021.

Amendment of rule 5

2. In the Uttar Pradesh Number and Location of Excise Shops Rules, 1968, in rule 5 for sub-rule (9) set out in Column- I below, the sub-rule as set out in Column-II shall be *substituted*, namely:-

Column-I Existing sub-rule	Column-II Sub-rule as hereby substituted
(9) No licence for the retail sale of liquor within five kilometer of the border of another district shall be granted except when the collectors of both the district concur. If they fail to concur, the matter shall be referred to the Excise Commissioner whose decision, thereon, shall be final.	(9) In case of any dispute regarding the location/site of license for the retail sale of liquor between two districts, the matter shall be referred of the Excise Commissioner whose decision, thereon, shall be final.

By order,
SANJAY R. BHOOSREDDY,
Apar Mukhya Sachiv.

पी०एस०यू०पी-ए०पी० 50 राजपत्र-2021-(94)-599 प्रतियां (क०/टी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी-ए०पी० 3 सा० आबकारी-2021-(95)-100 प्रतियां (क०/टी०/ऑफसेट)।